भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/311
विवि.एसटीआर.आरईसी.230./21.04.048/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I: प्रारंभिक 2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2
बी. प्रयोज्यता 2
सी. परिभाषाएँ 3
अध्याय II: सामान्य अनुदेश 5
ए. सामान्य अनुदेश 5
बी. प्रकटीकरण अपेक्षाएं 6
अध्याय III: आस्ति वर्गीकरण 7
ए. आस्ति वर्गीकरण मानदंड 7
बी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले 10
सी. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ 11
डी. ऐसे खाते जिनमें प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आई हो 13
ई. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन 13
अध्याय IV: प्रावधानीकरण मानदंड 14
ए. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं 14
अध्याय V: आय निर्धारण 17
ए. आय निर्धारण 17
अध्याय VI: निरसन और अन्य प्रावधान 19
ए. निरसन और बचाव 19
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 19
सी. व्याख्याएं 19

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिजर्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 21, 35ए और 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I: प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश ग्रामीण सहकारी बैंकों (जिन्हें आगे 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।
   इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों का तात्पर्य राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से होगा जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत परिभाषित किया गया है।

4. यदि राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और/या इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, या अन्य सांविधिक अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक सख़्त हैं, तो बैंक को इन अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

सी. परिभाषाएँ

5. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) *'फसल मौसम'* से तात्पर्य, प्रत्येक फसल के संबंध में,उस फसल की कटाई तक की अवधि है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित किया गया है;

(2) *'दीर्घावधि फसलों'* से तात्पर्य उन फसलों से है जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होती है;

(3) *'हानि आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसमें बैंक या लेखा परीक्षकों या रिज़र्व बैंक या नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में हानि की पहचान की गई हो, लेकिन बैंक द्वारा उस राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो;

(4) *'अनर्जक आस्ति'* से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति भी शामिल है, जिसने बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया हो;

(5) *अनियमित दर्जा'* – नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) खाता 'अनियमित' माना जाएगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

(i) बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से अधिक बनी रहती है;

(ii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं हुआ है;

(iii) बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से कम है, लेकिन क्रेडिट राशि पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: उपर्युक्त (iii) में संदर्भित 'पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाई जा रही है।

स्पष्टीकरण 2: 'अनियमित दर्जा' की परिभाषा उन सभी क्रेडिट उत्पादों पर लागू होगी जो ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनमें वे उत्पाद भी शामिल

हैं जो कारोबार प्रयोजन के लिए नहीं हैं और/ या जिनमें केवल ब्याज की चुकौती ही एकमात्र जमा (क्रेडिट) होती है।

(6) *अतिदेय' दर्जा* – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है।

(7) '*प्रतिभूति'* से तात्पर्य बैंक के पास विधिवत रूप से गिरवी रखी गई मूर्त जमानत से है और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी।

(8) *'अल्प अवधि की फसलों'* से तात्पर्य उन फसलों से है जो 'दीर्घ अवधि' की फसलें नहीं हैं;

6. '*सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम'* और '*मध्यम उद्यम'* शब्दों की परिभाषाएँ 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के अनुसार होंगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

7. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II: सामान्य अनुदेश

ए. सामान्य अनुदेश

8. बैंक को 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

   (1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे।

   (2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी।

   (3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।

9. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे तब पैरा 8 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. बैंक को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) , विशेषकर उच्च मूल्य वाले खातों के संबंध में, के निर्धारण में देरी या अधिस्थगन की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए उचित आंतरिक प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए।

11. बैंक, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।

12. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

    उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए बैंक द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत

कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

13. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक निम्नलिखित अनुदेशों को लागू करेगा:

    1) अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक आस्ति वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;

    (2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;

    (3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

बी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

14. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।

अध्याय III: आस्ति वर्गीकरण

ए. आस्ति वर्गीकरण मानदंड

15. बैंक ऋण या अग्रिम को मानक आस्ति या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो।

16. मानक आस्ति वह है जो किसी भी प्रकार की समस्या प्रकट नहीं करती है और जिसमें कारोबार से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है।

17. बैंक किसी ऋण या अग्रिम को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

(1) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक *अतिदेय* रहती है;

(2) खाता ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है;

(3) खरीदे और भूनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है;

(4) ऐसा खाता जिसमें नियमित/तदर्थ ऋण सीमा की समीक्षा नहीं की गई है / नवीनीकरण नियत तिथि/तदर्थ संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर किया गया हो;

(5) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है;

(6) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम तक बकाया रहती है;

(7) प्राप्त की जाने वाली कोई भी राशि अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

18. उप-पैरा 17(5) और 17(6) में निर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण मानदंड केवल निम्नलिखित कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे:

(1) फसल उगाने के लिए अल्पकालिक ऋण, अर्थात् फसल ऋण। इसके अतिरिक्त, कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/दृष्टिबंधक के बदले किसानों को ₹5 लाख तक

का अग्रिम, जो 12 माह से अधिक की अवधि के लिए न हो, जहाँ किसानों को उपज उगाने के लिए फसल ऋण दिया गया हो, बशर्ते उधारकर्ता एक ही बैंक से ऋण लें।

(2) मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उत्पादन और विकास संबंधी आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए सीधे किसानों को प्रदान किए जाते हैं)।

(i) **कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद**

(ए) कृषि उपकरणों की खरीद - लोहे के हल, हैरो, होज़, भूमि समतलीकरण उपकरण, मेड़ बनाने वाले उपकरण, हाथ के औजार, स्प्रेयर, डस्टर, घास प्रेस, गन्ना क्रशर, थ्रेशर मशीन आदि।

(बी) कृषि मशीनरी की खरीद - ट्रैक्टर, ट्रेलर, पावर टिलर, ट्रैक्टर के सहायक उपकरण जैसे डिस्क हल आदि।

(सी) कृषि इनपुट और कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता के लिए ट्रक, मिनी-ट्रक, जीप, पिक-अप वैन, बैलगाड़ी और अन्य परिवहन उपकरण आदि की खरीद;

(डी) कृषि इनपुट और कृषि उत्पादों का परिवहन;

(ई) हल चलाने वाले पशुओं की खरीद;

(ii) **सिंचाई क्षमता का विकास:**

(ए) उथले और गहरे ट्यूबवेल, टैंक, हायर आदि का निर्माण और ड्रिलिंग इकाइयों की खरीद;

(बी) सतही कुओं का निर्माण, गहरा करना, सफाई, कुओं की बोरिंग, कुओं का विद्युतीकरण, तेल इंजनों की खरीद और इलेक्ट्रिक मोटर और पंपों की स्थापना;

(सी) टरबाइन पंपों की खरीद एवं स्थापना, खेत की नहरों का निर्माण (खुली और भूमिगत दोनों), आदि।

(डी) लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण;

(ई) स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना;

(एफ) कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले पंपसेटों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु जनरेटर सेटों की खरीद।

(iii) **भूमि उद्धार एवं भूमि विकास योजनाएँ:** कृषि भूमि की मेड़बंदी, भूमि को समतल करना, सीढ़ीदार खेत बनाना, शुष्क धान की भूमि को सिंचित धान की भूमि में परिवर्तित करना, बंजर भूमि का विकास, कृषि जल निकासी का विकास, मिट्टी की भूमि का सुधार और लवणीकरण की रोकथाम, खड्डों की भूमि का सुधार, बुलडोजर की खरीद आदि।

(iv) **कृषि भवनों और संरचनाओं का निर्माण, आदि:** वृषभ शेड, औजार शेड, ट्रैक्टर और ट्रक शेड, कृषि भंडार, आदि।

(v) **भंडारण सुविधाओं का निर्माण एवं संचालन:** भंडारों, गोदामों, साइलो का निर्माण एवं संचालन तथा किसानों को अपनी उपज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने हेतु दिए गए ऋण।

(vi) फसलों के लिए संकर बीजों का **उत्पादन** और प्रसंस्करण।

(vii) **सिंचाई शुल्क आदि का भुगतान:** कुओं और ट्यूबवेलों से किराए पर लिए गए पानी का शुल्क, नहर के पानी का शुल्क, तेल इंजनों और इलेक्ट्रिक मोटरों का रखरखाव और मरम्मत, श्रम शुल्क का भुगतान, बिजली शुल्क, विपणन शुल्क, सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को सेवा शुल्क, विकास उपकर का भुगतान आदि।

(viii) **किसानों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अन्य प्रकार**

(ए) <u>अल्पकालिक ऋण</u>: पारंपरिक/गैर-पारंपरिक वृक्षारोपण और बागवानी के लिए।

(बी) <u>मध्यम और दीर्घकालिक ऋण:</u> सभी वृक्षारोपण, बागवानी, वानिकी और बंजर भूमि के लिए विकास ऋण और कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को वित्तपोषण।

19. फसलों की अवधि के आधार पर, उपर्युक्त एनपीए मानदंड कृषक द्वारा लिए गए कृषि सावधि ऋणों पर भी लागू होंगे।

20. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि ऋण और अग्रिम देते समय, उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह/चलनिधि के आधार पर यथार्थवादी पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित की जाए।

21. पैरा 18 में निर्दिष्ट कृषि ऋणों और गैर-कृषकों को दिए गए सावधि ऋणों के अलावा, एनपीए निर्धारण गैर-कृषि अग्रिमों के समान आधार पर किया जाएगा, जो कि 90 दिनों का चूक मानदंड है।

22. एनपीए का निर्धारण करते समय केवल तुलन-पत्र की तिथि तक खाते के प्रदर्शन को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। एनपीए का निर्धारण करते समय बाद के घटनाक्रमों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

23. किसी ऋण को एनपीए मानने या न मानने के उद्देश्य से उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूति या निवल संपत्ति की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

24. उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण, जहां तुलन-पत्र की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, सावधानी से और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाएगा। यदि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाते में अंतर्निहित खामी दिखाई देती है, तो खाते को एनपीए माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को खाते के नियमितीकरण के तरीके के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ताकि खाते की निष्पादन स्थिति पर संदेह दूर हो सके।

बी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले

25. परियोजनाओं (उद्योग और बागान आदि) के मामले में जहां भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया जाता है, ऋण केवल अधिस्थगन या उत्पादन-पूर्व अवधि समाप्त होने के बाद ही देय होता है, अर्थात् यदि किस्त नियत तिथि पर नहीं चुकाई जाती है तो ऐसा ऋण अतिदेय हो जाता है।

26. इसी प्रकार, स्टाफ सदस्यों को दिए गए आवास ऋण या इसी तरह के अग्रिमों के मामले में, जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज देय होता है, ऐसे ऋणों को देय तिथि पर मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक होने पर अतिदेय (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और अतिदेय मानदंड आस्तियों के वर्गीकरण का आधार होगा।

27. किसी बैंक द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों / प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों / अन्य सभी ऋण सोसाइटियों को क्रमशः आगे ऋण देने के उद्देश्य से दिए गए अल्पकालिक कृषि ऋणों के मामले

में, साथ ही आगे ऋण देने की प्रणाली के तहत दिए गए अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋणों के मामले में, केवल वही सुविधा जो अनियमित हो गई है, उसे एनपीए माना जाएगा, न कि उन्हें दी गई अन्य सभी सुविधाओं को। रबी और खरीफ जैसी प्रत्येक मौसम के लिए लिए गए फसल ऋणों को अलग-अलग खाते के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए।

28. किसी उधारकर्ता को दिए गए अन्य सभी प्रत्यक्ष ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, यदि एक ऋण खाता भी एनपीए हो जाता है, तो ऐसे सभी ऋण एनपीए हो जाएंगे। अतः, बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाओं को एनपीए माना जाएगा, न कि उस विशेष सुविधा या उसके किसी भाग को जो अनियमित हो गया है।

29. कंसोर्टियम ऋणों के संबंध में, बैंक अपने वसूली रिकॉर्ड के अनुसार उधार खातों का वर्गीकरण करेगा। इसलिए, कंसोर्टियम में भाग लेने वाले बैंक को कंसोर्टियम के अग्रणी बैंक से वसूली में अपना हिस्सा अंतरित करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

30. सावधि जमा, समर्पण के लिए पात्र राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और जीवन बीमा पॉलिसियों के बदले दिए गए अग्रिमों को एनपीए/अतिदेय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

31. केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ, भले ही अतिदेय हों, केवल तभी एनपीए मानी जाएँगी जब सरकार गारंटी का दावा किए जाने पर उसे अस्वीकार कर दे। यह छूट आय निर्धारण के उद्देश्य से नहीं है।

32. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/या मूलधन या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

सी. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ

33. बैंक को अनर्जक आस्तियों को आवश्यकतानुसार 'अवमानक आस्तियां', 'संदिग्ध आस्तियां' और 'हानि आस्तियां' श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा। आस्तियों का उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकरण ऋण संबंधी कमजोरी की स्पष्ट डिग्री और बकाया राशि की वसूली के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

34. बैंक को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना होगा:

(1) कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार के ऋणों के संबंध में तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक अतिदेय रही आस्ति;

(2) सभी प्रकार के सावधि ऋणों के मामले में, जहां किश्तें तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं, सावधि ऋण की संपूर्ण बकाया राशि को अवमानक माना जाएगा;

(3) उत्पादन शुरू होने के बाद, यदि ब्याज भुगतान और मूलधन की चुकौती से संबंधित ऋणों की शर्तों और नियमों पर पुनर्विचार या पुनर्निर्धारण किया गया है, तो ऐसी आस्ति को अवमानक श्रेणी में रखा जाएगा और पुनर्विचारित या पुनर्निर्धारणित शर्तों के तहत कम से कम एक वर्ष तक संतोषजनक कार्य-निष्पादन के दौरान वह इसी श्रेणी में बनी रहेगी। केवल पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्ति का वर्गीकरण उन्नत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपरोक्त शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो।

35. बैंक निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर एनपीए को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा:

(1) कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार के ऋणों के संबंध में तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक अतिदेय रही आस्ति;

(2) सभी प्रकार के सावधि ऋणों के मामले में, जहां किश्तें तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं, सावधि ऋण की संपूर्ण बकाया राशि को संदिग्ध माना जाएगा;

(3) अवमानक आस्तियों के मामले में पुनर्निर्धारण किसी बैंक को अग्रिम की गुणवत्ता को स्वचालित रूप से अपग्रेड करने का अधिकार नहीं देता है।

36. ऐसी कोई आस्ति जिसे अप्राप्य माना जाता है और/या जिसका मूल्य इतना कम है कि उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में बनाए रखना लाभहीन है, उसे हानि आस्ति माना जाएगा, और इसमें निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक मामलों में अतिदेय ऋण शामिल होंगे:

(1) डिक्री या निष्पादन याचिकाएँ समय सीमा से बाहर हो गई हों या दस्तावेज़ खो गए हों या कर्ज का दावा करने के लिए कोई अन्य विधिक प्रमाण उपलब्ध न हो।

(2) जहां सदस्य और उनके ज़मानतदार दिवालिया घोषित कर दिए गए हों या उनकी मृत्यु हो गई हो और वे कोई मूर्त संपत्ति न छोड़ गए हों,

(3) जहां सदस्य बिना कोई संपत्ति छोड़े समिति के कार्यक्षेत्र से चले गए हों और उनके जमानतदारों के पास भी बकाया राशि का भुगतान करने का कोई साधन न हो,

(4) जहां ऋण काल्पनिक हो या जब घोर दुरुपयोग देखा जाए,

(5) परिसमाप्त समितियों के मामले में वसूली न की जा सकने वाली राशियाँ।

37. उप-पैरा 36(3) के प्रयोजन के लिए, 'सोसायटी' शब्द से तात्पर्य उस उधारकर्ता से होगा जिसके नाम पर बैंक में संबंधित ऋण खाता है।

डी. ऐसे खाते जिनमें प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आई हो

38. गंभीर साख हानि के मामलों में एनपीए को वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी आस्तियों को सीधे तौर पर संदिग्ध या हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। किसी प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट तब महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित मूल्य या रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए को सीधे संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है और संदिग्ध आस्तियों पर लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए।

39. यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों/रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे या तो बट्टे खाते में डाल दिया जा सकता है या बैंक द्वारा इसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जा सकता है।

ई. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

40. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी उन्नत किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी उधारकर्ता के पास बैंक से एक से अधिक ऋण सुविधाएं हैं, तो ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में तभी उन्नत किया जाएगा जब सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए।

अध्याय IV: प्रावधानीकरण मानदंड

ए. प्रावधानीकरण अपेक्षाएं

41. बैंक कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋणों, जो मानक आस्तियां हैं, के संबंध में पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया का 0.25 प्रतिशत प्रावधान करेगा।

42. मानक के रूप में वर्गीकृत अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, 0.40 प्रतिशत का प्रावधान किया जाएगा।

43. मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि उन्हें 'अन्य देनदारियों और प्रावधानों - अन्य' के अंतर्गत 'मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

44. अवमानक आस्तियों के लिए कुल बकाया पर दस प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

45. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार होंगे:

(1) अग्रिम राशि का 100 प्रतिशत हिस्सा उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होता जिस पर बैंक का वैध सहारा है और वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाता है।

(2) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अतिरिक्त, आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, प्रतिभूत भाग (अर्थात बकाया राशि का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) का 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

मानदंड	प्रावधान आवश्यकताएँ (प्रतिशत में)
3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के अतिदेय	20
4 वर्ष से अधिक, लेकिन 6 वर्ष से अधिक नहीं, के अतिदेय	30
6 वर्ष से अधिक के अतिदेय	100

उदाहरण I:

31 मार्च 2017 तक बकाया राशि: ₹10,000

प्रतिभूति का प्राप्य मूल्य: ₹8,000

वह अवधि जिसके लिए 31 मार्च 2007 को अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी हुई है: 2.5 वर्ष

प्रावधान अपेक्षा:

की स्थिति के अनुसार	आस्ति वर्गीकरण	रक्षित भाग पर प्रावधान		अरक्षित भाग पर प्रावधान		कुल
		प्रतिशत	राशि (₹)	प्रतिशत	राशि (₹)	(₹)
31 मार्च 2017	संदिग्ध 2.5 वर्ष	30	2400	100	2000	4400
31 मार्च 2018	संदिग्ध > 3 वर्ष	100	8000	100	2000	10000

46. हानि आस्तियों के मामले में, संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते में दाल देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आस्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।

47. प्रावधान करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है:

(1) सभी कृषि ऋणों को पूर्णतः रक्षित माना जा सकता है क्योंकि वे संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों/नियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार भूमि पर प्रभार के बदले संवितरित किए जाते हैं।

(2) भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के प्रति देनदारियों का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया जाना चाहिए और इसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

(3) सावधि जमा, समर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन पॉलिसियों के विरुद्ध अग्रिम प्रावधानीकरण से मुक्त हैं।

(4) सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के बदले दिए गए अग्रिम प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं से मुक्त नहीं हैं।

48. बैंक को न्यूनतम विवेकपूर्ण स्तरों से काफी अधिक राशि स्वेच्छा से अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह एक वांछनीय प्रथा है।

49. अन्य बैंकों में नकद शेष/जमा राशि, शाखा समायोजन खातों में राशि, धोखाधड़ी और गबन तथा भवन, फर्नीचर और वाहनों आदि पर मूल्यह्रास के संबंध में हानि का आकलन और पूर्ण प्रावधान

मौजूदा प्रथा के अनुसार किया जाएगा। जिन मदों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है या जिन देनदारियों के लिए अपर्याप्त प्रावधान किए गए हैं (जैसे कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, आयकर, जमा/ऋण पर अर्जित ब्याज आदि), निरीक्षण अधिकारी व्यय हेतु प्रावधान की गणना करने के लिए इन्हें निर्दिष्ट करेंगे और निवल मालियत की गणना के उद्देश्य से इन्हें वास्तविक व्यय के रूप में मानेंगे।

50. बैंक को बैक-एंड सब्सिडी योजना के अंतर्गत बकाया ऋण में से सब्सिडी राशि घटाकर निवल राशि लेने और केवल शेष राशि पर प्रावधान करने की अनुमति है। यह छूट अन्य उद्देश्यों जैसे सकल ऋण और अग्रिमों की गणना, आस्ति वर्गीकरण आदि के लिए न होकर केवल प्रावधान करने के उद्देश्य से है।

51. धोखाधड़ी खातों के मामलों के संबंध में प्रावधान

(1) बैंक को देय संपूर्ण राशि (ऐसी आस्तियों के विरुद्ध रखी गई प्रतिभूति की मात्रा पर ध्यान दिए बिना) या जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है (जमा खातों के मामले सहित), धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होने से अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में प्रावधान किया जाएगा;

(2) यदि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक नाबार्ड को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी हुई हो, तो संपूर्ण प्रावधान एक ही बार में किया जाएगा।

(3) यदि बैंक द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने या उसके विरुद्ध प्रावधान करने में देरी हुई हो, तो उपरोक्त उप-पैरा (2) के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

अध्याय V: आय निर्धारण

ए. आय निर्धारण

52. आय निर्धारण की नीति वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए और इसलिए बैंक द्वारा अप्राप्त आय को लाभ और हानि खाते में नहीं लिया जाना चाहिए।

53. पैरा 52 के होते हुए भी, कुछ राज्यों के मामले में जहाँ राज्य सहकारी अधिनियम/नियम/लेखापरीक्षा नियमावली लाभ और हानि खाते में आय मद में ऐसे अप्राप्त ब्याज को लेने का प्रावधान करती है, बैंक लाभ और हानि खाते में प्रभारित करके समतुल्य राशि के लिए पूर्ण प्रावधान करेगा। परिणामस्वरूप, बैंक, जो सभी बकाया ऋणों पर ब्याज वसूल रहा है और यदि ऐसा ब्याज अप्राप्त रहता है, तो उसे आय खाते में दर्ज किया जा सकता है, बशर्ते कि लाभ और हानि खाते में प्रभारित करके इसके लिए पूर्ण रूप से मिलान प्रावधान किया गया हो।

54. शुल्क, कमीशन और अन्य आय को केवल तभी आय माना जा सकता है जब खाता 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष में आय के रूप में मानी गई लेकिन परवर्ती वर्ष में प्राप्त न हुई ऐसी मदों की सीमा तक एक मिलान प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

55. सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं के मामले में भी, बकाया ब्याज को लाभ और हानि खाते में तभी लिया जा सकता है जब मिलान प्रावधान किया गया हो।

56. खरीदे/भुनाए गए बिलों पर ब्याज लगाया जा सकता है जिन्हें अतिदेय माना जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में लिया जा सकता है बशर्ते कि मिलान प्रावधान किया गया हो।

57. बकाया ऋणों के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा अर्जित शुल्क और कमीशन को पुनर्निर्धारित या पुनर्निर्धारित ऋण विस्तार की अवधि में उपार्जन के आधार पर निर्धारण किया जाना चाहिए।

58. यदि किसी वर्ष के अंत में कोई अग्रिम, जिसमें खरीदे और भुनाए गए बिल भी शामिल हैं, एनपीए हो जाता है, तो संबंधित पिछले वर्ष में अर्जित और आय खाते में जमा किया गया ब्याज, यदि वसूल नहीं किया जाता है, तो उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा या उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

59. एनपीए पर प्राप्त ब्याज को आय खाते में लिया जा सकता है, बशर्ते ब्याज के लिए खातों में जमा की गई राशि संबंधित उधारकर्ताओं को संस्वीकृत नई/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं से न हो।

60. एनपीए में वसूली (अर्थात मूलधन या देय ब्याज की ओर) के विनियोजन के उद्देश्य से बैंक और उधारकर्ता के बीच स्पष्ट करार के अभाव में, बैंकों को लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए और वसूली के विनियोजन के अधिकार का प्रयोग एक समान और सुसंगत तरीके से करना चाहिए।

61. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, उन खातों के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया जा सकता है जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संकटग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दी गई 'पुनर्गठन' की परिभाषा के आधार पर किया जाएगा।

62. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की संस्वीकृति के समय अनुमत) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो ऐसी अधिस्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज को प्रतिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय VI: निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

63. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

64. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

65. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

66. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे

तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)